संख्या-13/2016/4348जेएल/22-3-15-800(308)/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 14 जनवरी, 2016***

विषय- जिला कारागार**,** फतेहपुर के बंदी बिन्दू सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह, निवासी-ग्राम-मौहार, थाना-कल्यानपुर, जिला-फतेहपुर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार**,** फतेहपुर के बंदी बिन्दू सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह, निवासी-ग्राम-मौहार, थाना-कल्यानपुर, जिला-फतेहपुर को शासनादेश संख्या-324/2015/3791जेएल/22-3-15-800(308)/2012, दिनांक 03-12-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-13/2016/4348जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3- अधीक्षक, जिला कारागार**,** फतेहपुर।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in